भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

<u>सामान्य प्रिंटिंग कार्य के लिए प्रिंटरो के पैनल के लिए निविदा दस्तावेज</u>

बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि : 01.03.2017 (11.00 पूर्वाहन)

तकनीकी बोली खोलने की तिथि : 01.03.2017 (03.00 अपराहन)

बोली दस्तावेज सं.- 14/जीएस/16-2014

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110124

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

निविदा दस्तावेज के लिए

काले और रंग के (एकल, दो और चार रंग प्रिटिंग) विभिन्न कार्यों जैसे-पुस्तके, विवरणिका, फोल्डरों, फाइल कवरो, विजिटिंग कार्डों आदि के प्रिंटिंग कार्यों के लिए पिंटरों की उच्च गुणवत्ता के पैनल

निविदा सं. 14-जीएस/16-2015 दिनांक 24.01.2017

भाग1- निविदा आमंत्रण नोटिस ……………………………………………………….04

भाग 2- बोली प्रस्तुति फार्म…………………………………..…………………......06

भाग 3- बोलीदाता का प्रोफाइल ……………………………..………………………..09

भाग 4- निकट संबंधियों से संबंधित प्रमाण पत्र ………………………………..……..13

भाग 5- बोलीदाताओं को निर्देश ……………………………………………………….15

भाग 6- ठेका की सामान्य शर्तें (जीसीसी)............. ………………………………………29

भाग 7- आवश्यकताओं की सूची...……………………………………………………….37

वित्तीय बोली

भाग 8- कीमत सूची ....……….....……………………………………………............41

भाग 9 फार्म

9.1 बोली प्रतिभूति फार्म ………….………………...………………………………..48

9.2 वित्तीय क्षमता के लिए फार्म……………………….....………………………. 50

9.3 करार की अनुच्छेद का फार्म.......…………………………...……………………51

9.4 निष्पादन बैंक गारन्टी का फार्म ....………………………...……………54

9.5 बोली खुलने के समय उपस्थित होने के लिए प्राधिकार पत्र …………….…… 57

भाग 10- जांच सूची ……………………………..………………………………........59

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

II - बोली दस्तावेज पर संक्षिप्त जानकारी

निविदा संख्या	**सं. 14-जीएस/16-2014, दिनांक 24.01.2017**
ठेका की अवधि	करार की तारीख से एक वर्ष के लिए जोकि संतोषजनक सेवाओं के लिए विस्तारण योग्य है
अंतिम तारीख और प्रस्तुति का समय	**01.03.2017 को 11:00 बजे तक**
तकनीकी बोली खुलने की तारीख	**01.03.2017 को 03:00 बजे तक**
तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाता के लिए वित्तीय बोलियों के खुलने की तारीख	बाद में अधिसूचित की जाएगी
ईएमडी	नई दिल्ली में देय, पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली के पक्ष में क्रोस्ड डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी के रूप में ₹ 1,00,000/- (रूपए एक लाख केवल)
निविदा दस्तावेज की लागत	₹ 1000/- (एक हजार रूपए केवल)
बोली की वैधता	120 दिन
निविदा दस्तावेज के पृष्ठों की कुल संख्या	60 पृष्ठ
बोलियों की प्रस्तुति का पता एवं स्थान	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

भाग - 1

(निविदा आमंत्रण नोटिस)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

निविदा आमंत्रण नोटिस

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली, काले और रंग में (एकल, दो और चार रंगीन प्रिंटिंग) विभिन्न कार्यो जैसे पुस्तके, विवरणिका, फोल्डरो, फाइल कवरो, पत्र शीर्षको, प्लास्टिक फोल्डरो, विजिटिंग कार्यो इत्यादि के प्रिंटिंग कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता के पैनल के लिए मोहरबंद निविदाएं आंमत्रित करता है।

निविदा दस्तावेज के निर्देशों के अनुसार विधिवत भरे गए मोहरबंद बोली दस्तावेज (इएमडी सहित तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 के नाम पर होने चाहिए और **01.03.2017 को 11.00 पूर्वाह्न** तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

निविदा दस्तावेजो को जीएस अनुभाग भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दस्तावेजों को इस कार्यालय की वेबसाइट http://saiindia.gov.in (पब्लिक इंटरफेस>टेंडर नोटिस). से भी डाऊन लोड किया जा सकता है। तकनीकी बोलियों को ऐसे बोलीदाताओं की उपस्थिति में, जो उपस्थित रहना चाहते है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत समिति द्वारा 01.03.2017 को 3 बजे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के समिति कक्ष में खोला जाएगा। केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को इस उद्देश्य हेतु अधिकृत समिति द्वारा खोला जाएगा जिनकी तकनीकी बोलियां पात्र है। वित्तीय बोलियों के खुलने की तारीख, समय और स्थान की सूचना तकनीकी रूप से पात्र बोलीदातों का दी जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी को किसी या सभी बोलियों को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(दिनेश कुमार)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

भाग - 2

बोली प्रस्तुति फार्म

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

बोली प्रस्तुति फार्म

दिनांक: ……….

बोली पत्र

सेवा

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस),
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पोकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली -110124.

संदर्भ: **निविदा सं. 14-जीएसएस/16-2014 दिनांक 24.01.2017** के लिए आमंत्रण

हम, अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते है कि:

1. हमने जांच कर ली है और हमे बोलीदाताओं के लिए निर्देशों के अनुसार जारी किए गए एजेंडा सहित बोली दस्तावेजों पर कोई संदेह नहीं है।

2. हम बोली दस्तावेज के अनुरूप आपके कार्यालय निर्देशों के अनुसार सभी प्रिंटिंग कार्य करने का वचन देते है।

3. हमारी बोली, बोली दस्तावेजों के अनुसार बोली प्रस्तुति की अंतिम समय सीमा हेतु निर्धारित तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी और यह हम पर बाध्यकारी होगी तथा उस अवधि के समापन से पहले किसी भी समय स्वीकार्य होगी।

4. यदि बोली हमारी स्वीकार की जाती है, तब हम बोली दस्तावेजों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति जमा कराने का वचन देते है।

5. हम यह भी घोषणा करते है कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय ने हमे भ्रष्टाचार, घोखाधड़ी, कपटपूर्ण या प्रतिरोधी कार्यकलापों या गंभीर प्रवृति की किसी विफलता/चूक में शामिल होने के आरोप पर अपात्र घोषित या काली सूची में नहीं डाला है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

6. हम इस बोली दस्तावेज की सभी शर्तों एवं निबंधनों को भी स्वीकार करते है और इस शर्त सहित उनके पालन का वचन देते है कि आप उच्चतम रैंक की बोली/ न्यूनतम बोली या किसी अन्य बोली जो प्राप्त करेंगे, को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(अधिकृत व्यक्ति बोलीदाता कम्पनी की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न करें)

पूरा नाम और पदनाम
(बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर मुद्रित)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

भाग - 3

बोलीदाता का प्रोफाइल

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

सामान्य:

1. बोलीदाता/का नाम ………………………………………………………………..……………………….
2. बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम ''श्री/श्रीमती'' ……………………………………………..
3. फर्म का पता ....

   ....

   ....
4. एसटीडी कोड सहित दूरभाषा संख्या (का.)….............……(फैक्स) ……….....…………..(नि.)……………….
5. मोबाईल संख्या ………………………………………………………………………………………..
6. ई-मेल…………………………………………………………………………………………….
7. फर्म का पंजीकरण और निगमीकरण विवरण:

   i) स्वामित्व

   ii) भागीदारी

   iii) प्राइवेट लिमिटेड

   iv) पब्लिक लिमिटेड

(कृपया व्यापार कानून के अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी से अपनी फर्म के पंजीकरण/निगमीकरण के दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करें। स्वामित्व/भागीदारी फर्म के मामले में, बोली केवल स्वामी/भागीदार द्वारा जैसा भी मामला हो हस्ताक्षरित होनी चाहिए,)

8. स्वामी/साझेदार/निदेशकों का नाम …………………………………………………………...…
9. बोलीदाता का बैंक, उसका पता और उसकी चालू खाता संख्या ....

   ....

   ....
10. स्थाई आयकर संख्या, आयकर सर्कल ……………….........……………………

(कृपया पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपियां सलंग्न करे) ....

11. स्थायी खाता संख्या (पेन) संख्या ....
(कृपया पेन की प्रतियां संलग्न करें)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

वचन

1. मै. अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करता हॅूं कि मैने बोली दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता हॅूं।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत दरें वैध और ठेके की पूर्ण अवधि के लिये मुझ पर बाध्यकारी हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत दरे न्यूनतम दरें है जैसी भारत में किसी भी अन्य संस्था में प्रस्तुत हैं।
3. यदि मेरे/एजेंट की ओर से नियुक्त समय में और अपेक्षित गुणवत्ता का कोई विलम्ब हो, या अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने में विफल रहे या कार्य आदेश की अस्वीकृती के मामले में या निष्पादन बैंक गारंटी की प्रस्तुती करने के मामले में, मैं/ हम भारत में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को ठेके की शर्तों के उल्लंघन के मामले में मेरे/ हमारे द्वारा जमा बयाना राशि/ सुरक्षा जमा को जब्त करने के अधिकार देता हॅू।
4. इस प्रकार मैं निविदा दस्तावेज/कार्य आदेश/ठेके करार में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुबंधित अवधि में सेवाएं प्रदान करने का वचन देता हूं, जिसकी विफलता में मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्ट/रोक का दायी हो जाऊंगा। उत्तरदायित्व लेता हूँ।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि भारत सरकार या कोई अन्य सरकार/पीएसयू/स्वायत निकाय ने कभी भी हमें भ्रष्ट, धोखाधडी, कपटपूर्ण या प्रतिरोधी कार्यों या किसी भी प्रकृति की विफलता/चूकों में लिप्त होने के आरोप में आयोग्य या ब्लैकलिस्ट घोषित नहीं किया है।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदता/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ………...

बोलीदाता का नाम ....

बोलीदाता की मोहर

भाग - 4

नजदीकी रिश्तेदारों के संबंध में प्रमाणपत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

<u>प्रमाणपत्र</u>

निविदा में नजदीकी रिश्तेदारों की गैर-भागीदारी पर प्रमाणपत्र

मैं______________________________, पुत्र ______________________________

निवासी______________________________ यह प्रमाणित करता हॅू कि निविदा दस्तावेजों में परिभाषित अनुसार मेरा कोई भी रिश्तेदार निविदा दस्तावेज में दिये गये विवरण के अनुसार सीएजी के कार्यालय में कार्यरत नहीं हैं। यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/गलत है, सीएजी कार्यालय को मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के, कोई भी कार्यवाही, जो भी ठीक समझी जाये, करने का पूर्ण अधिकार होगा।

*हस्ताक्षरित*______________________________

बोलीदाता की ओर से और के लिये

नाम (बड़े अक्षरों में) ______________________________

पदनाम ______________________________

*तिथि*______________________________

भाग - 5

बोलीदाता को निर्देश

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

<u>बोलीदाता को निर्देश</u>

1. सामान्य निर्देश

1.1 निविदा का आमंत्रण केवल दिल्ली तथा एनसीआर से उन सभी गुणवता प्रिंटरो के लिए है जो बुक, मैंगजीन, ब्राउचर, लेटरहैड, विजिटिंग कोर्डो, फाइल कवर, फोल्डर आदि के उच्च गुणवता सिंगल, डबल तथा चार कलर प्रिटिंग कार्य में संलग्न है।

1.2 यद्‌यपि निविदा दस्तावेजों का तैयार करने में त्रुटियों से बचने के लिये सभी प्रयास किये गये हैं, बोलीदाता को उसकी ध्यानपूर्वक जांच करने की सलाह दी जाती है। निविदा दस्तावेजों में पाई गई किसी भी त्रुटि के संबंध में किसी भी दावे को नहीं माना जायेगा।

1.3 निविदा दस्तवेजों के सभी पृष्ठ ठेके की विभिन्न शर्तों सहित पूर्ण निविदा दस्तावेज स्वीकृत होने और स्वयं/अपने को ज्ञात होने के टोकन के रूप में निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्‌वारा मुद्रांकित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। कोई भी बोली किसी भी दस्तावेज के हस्ताक्षरित न होने पर ग्राहक के निर्णय पर अस्वीकृति के अधीन है। **इस बोली दस्तावेज में से कोई भी पृष्ठ हटाया/अलग नहीं किया जाना चाहिए।**

1.4 बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकार के प्रमाण के तौर पर अधिकार पत्र/मुख्तारनामे की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

1.5 सभी बोलीदाताओं को एतद द्‌वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि ठेके की शर्तो से विचलन के प्रस्ताव या सशर्त प्रस्ताव, न्यूनतम अर्हता मानदंड पूरी न करने वाली बोली, तकनीकी बोली, अपेक्षित राशि/रूप में ईएमडी के साथ न प्रस्तुत या निविदा दस्तावेजों में निर्धारित अन्य कोई भी आवश्यकता अस्वीकृति के अधीन होंगी।

1.6 एक वर्ष के लिए प्रिटिंग की अनुमानित लागत लगभग ₹ 22 लाख (रूपये बाईस लाख) है। हालांकि वास्तविक मात्रा के लिए कोई गारंटी नहीं दी जा सकती तथा एकमात्र भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर आवश्यकता भिन्न हो सकती है।

1.7 बोली की पार्टियॉ 'बोलीदाता' (जिन्हें कार्य दिया गया है) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली (ग्राहक) होंगे।

1.8 ठेके के सभी उद्देश्यों के लिये उसके अधीन विवाचन सहित, बोली में उल्लिखित बोलीदाता का पता अंतिम होगा जब तक बोलीदाता भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से पावती सहित रजिस्टर्ड पोस्ट द्‌वारा अलग से पत्र द्‌वारा पते मे परिवर्तन की सूचना नहीं देता। उपरोक्त तरीके से पते में परिवर्तन सूचित करने मे त्रुटि या किसी भी

चूक के परिणाम के लिये बोलीदाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

2. न्यूनतम पात्रता मानदंड

बोलीदाता के तकनीकी रूप से चयन के लिये न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे।

क. **कानूनी वैध इकाई:** बोलीदाता भारतीय नागरिक होगा तथा या तो एक व्यक्ति या अकेले स्वामित्व या भागीदारी फर्म अथवा एक कम्पनी चाहे निगमित या अनिगमित होगा। बोलीदाता की कानूनी वैधता के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

ख. **वित्तीय क्षमता:** बोलीदाता का के समान व्यापार में **पिछले दो वित्तीय वर्षों (2014-15 तथा 2015-16) में प्रत्येक का रूपये पच्चीस (25) लाख** का न्यूनतम कारोबार होना चाहिए। समर्थन में उचित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

ग. **पेन तथा सेवाकर:** बोलीदाता आयकर तथा सेवा कर विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। सहायक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

घ. **अनुभव**: बोलीदाता को लगातार पिछले पांच वर्षों के लिए सरकारी विभागो में प्रिटिंग के समान क्षेत्र में अनुभव होना चाहिये। समर्थन में उचित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

2.1 न्यूनतम पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेज

(i) 2 (क) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्णपालन करने के प्रमाण में केवल **दिल्ली वेट कर विभाग/एनसीआर क्षेत्र** द्वारा जारी बिक्री कर पंजीकरण, वेट पंजीकरण, सेवा कर पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपि स्वीकार्य होगी।

(ii) 2 (ख) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में, पूर्ण वित्तीय वर्ष अर्थात 2014-15 तथा 2015-16 के लिये **लेखापरीक्षित तुलन पत्र** (सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित) की सत्यापित प्रति।

(iii) 2 (ग) में न्यूनतम पात्रता मानदंड के पूर्ण पालन के प्रमाण में **पैन और सेवा कर** की सत्यापित प्रति स्वीकार्य होगी।

(iv) 2 (घ) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में अनुभव होने के समर्थन में सरकारी विभागो द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र तथा **कार्य आदेश/करारो की सत्यापित प्रति** स्वीकार्य होगी।

3. बयाना राशि जमा

3.1 यह बोली किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख केवल) की बयाना राशि सहित होनी चाहिये। बैंक

गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट की वैधता बोली को प्रस्तुत करने की तिथि से शुरू 3 (तीन) महीनों तक होनी चाहिए। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट **<u>पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के पक्ष में और नई दिल्ली</u>** में देय होना चाहियें।

3.2 किसी भी पिछले कार्य के संबंध में विभाग द्वारा किसी भी लंबित बिल के प्रति समायोजन या सुरक्षा जमा या कोई भी पहले जमा की गई बयाना राशि के स्थानांतरण के लिये कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3.3 बोलीदाता को अपने प्रस्ताव को वापस लेने या इसकी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता इसमें किये गये करार के पालन और पूरा करने मे विफल रहे या दर प्रस्तुत करने के बाद पीछे हटे या कार्य आदेश स्वीकार न करे या निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल हो तो उसे निविदा में भविष्य में भाग लेने से रोकने के अलावा सरकार के पास उपरोक्त बयाना राशि जमा जब्त कर ली जायेगी।

3.4 बयाना राशि के बिना बोली तुरंत खारिज कर दी जायेगी।

3.5 बयाना राशि या सुरक्षा जमा की राशि पर मूल्य या ब्याज में कटौती के संबंध में सरकार/विभाग के प्रति कोई दावा नहीं होगा।

3.6 बोली प्रतिभूति (बयाना राशि)/निष्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित मामलो में जब्त कर ली जायेगी:

(क) यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापिस ले;

अथवा

(ख) अंतिम चयनित बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता:

i निविदा/कार्य आदेश के अनुसार ठेका निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल हो

ii यदि किसी भी स्तर पर, बोलीदाता द्वारा दी गई कोई सूचना/घोषणा गलत पाई जाएं।

iii नियमो तथा शर्तो के अनुसार तथा इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण संतुष्टि से कार्य करने में आपूर्तिकर्ता की विफलता के मामले में, फर्म द्वारा जमा प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी तथा बोलीदाता पर रोक लगाने/ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

3.7 अंतिम चयनित बोलीदाता के संदर्भ में बोली प्रतिभूति (बयाना राशि) बोलीदाता को ठेके पर हस्ताक्षर करने तथा ठेका निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

3.8 असफल बोलीदाताओं को ईएमडी बोली खुलने के 15 दिनो के अन्दर वापिस की जाएगी।

3.9 ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. बोली की वैधता

4.1 बोली, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से **120 दिनों** की अवधि के लिये अनुमोदन हेतु वैध और खुली रहेगी।

4.2 यदि ग्राहक बोलीदाता को बातचीत के लिये बुलाता है तो वास्तविक प्रस्ताव जो बोलीदाता पर बाध्यकारी है, के रद्दीकरण या वापसी के समान नहीं होगा।

4.3 ग्राहक, बिना किसी संशोधन और इसका बिना कोई कारण दिये, 60 दिनों की अधिक अवधि बढ़ाने के लिये अनुरोध कर सकता है।

5. बोली की तैयारी

5.1 **तकनीकी बोली:** तकनीकी बोली सभी अपेक्षित जानकारी, न्यूनतम पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेजों, अपेक्षित राशि के वैध ईएमडी सहित निविदा दस्तावेज में दिये गये निर्देशों के अनुसार तैयार की जानी चाहिये।

(क) कंपनी के लेटरहेड पर उचित रूप से हस्ताक्षरित और प्रिंटेड बोली प्रस्तुीकरण फॉर्म

(ख) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित और मुंद्राकित

(ग) सभी फॉर्म उचित रूप से भरे और हस्ताक्षरित और मुद्रांकित

(घ) ₹ 1,00,000/- की बयाना राशि

(ङ) नयूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में सभी सत्यापित सहायक दस्तावेज।

तकनीकी बोली एक सील किये हुए लिफाफे में पृथक रूप से रखी जानी चाहिए जिस पर बोली के नाम व पते सहित ''निविदा सं. 14/जीएसएस/16-2014 दिनांक 24.01.2017 हेतु तकनीकी बोली लिखा हुआ हो।

5.2 **वित्तीय बोली:** बोलीदाता निम्नलिखित शर्तों पर मूल्य अनुसूची में वित्तीय बोली तैयार करेगा

(i) वित्तीय बोली विनिर्देशो में दर्शाए गए प्रत्येक तथा हर मद के लिए यूनिट मूल्य दर्शाना।

(ii) बोलीदाता द्वारा उद्धरित मूल्य ठेके/मनोनयन के बोलीदाता के निष्पादन के दौरान निर्धारित होंगे तथा किसी खाते में भिन्नता के अधीन नहीं होंगे। समायोजित मूल्य,

उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर उत्तरदायी के रूप में माना जाएगा तथा अस्वीकार किया जाएगा।

(iii) मूल्य उद्धरण वाले छूट आदि जैसे सभी मूल्य तथा अन्य सूचना निर्धारित फार्म में अंको तथा शब्दो दोनो में लिखी होनी चाहिए। यदि शब्दो तथा अंको में उद्धरित मूल्य/सूचना के बीच भिन्नता हो तो दोनो में से जो भी अधिक हो उसे बोली मूल्य के रूप में माना जाएगा।

तब वित्तीय बोली को बोलीदाता के नाम एवं पते सहित एक पृथक लिफाफे जिसके ऊपर लिखा हो ''निविदा सं.14/जीएसएस/16-2014 दिनांक 24.01.2017 में रखा जाना चाहिए।

6. बोली का प्रस्तुतीकरण

6.1 बोलीदाता (i) तकनीकी बोली तथा (ii) वित्तीय बोली वाले सील किये हुए **दो पृथक-पृथक लिफाफों** सहित सील किये किये हुए लिफाफे में इसे स्पष्ट करते हुए अपनी बोली प्रस्तुत करेगा तथा दो लिफाफे एक और सिंगल सील किये हुए लिफाफे मे रखेगा।

6.2 बोली भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस) को सम्बोधित करते हुए दिनांक **01.03.2017 तक 11.00 बजे** पूर्वाहन तक प्रस्तुत की जाएगी।

6.3 बोलीदाता अपनी बोली कोरियर से भेजते समय यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनकी बोली नियत तिथि तथा समय पर उपरोक्त पते पर प्राप्त हुई है। टेलेक्स, केबल या फैक्स बोली मंजूर नहीं की जाएगी।

6.4 बोली अधिसूचना में नियत तिथि तथा समय से पहले उपरोक्त निर्दिष्ट पते पर कार्यालय मे प्राप्त हो जानी चाहिए। उक्त समय तथा तिथि के पश्चात कोई बोली स्वीकार नहीं होगी। हालांकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को बोलियां खोलने से पूर्व बोली प्राप्ति के लिए तिथि/समय को बढ़ाने का अधिकार आरक्षित है। बोली प्रस्तुतीकरण के लिए नियत उपरोक्त समय-सीमा के बाद कार्यालय में प्राप्त किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा तथा बिना खोले बोलीदाता को वापिस की जाएगी। बोली के प्रस्तुतिकरण की निर्दिष्ट तिथि को अवकाश घोषित होने पर, बोली अगले कार्यकारी दिवस पर नियत समय में प्राप्त की जाएगी।

7. बोली खोलने की प्रक्रिया

7.1 तकनीकी बोली जो बोलीदाता उपस्थित होने के इच्छुक हो, की उपस्थिति में अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा दिनांक 01.03.2017 को 3.00 बजे अपराह्न में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली के समिति कक्ष में खोली जाएगी।

7.2 केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली, जिनकी तकनीकी बोली स्वीकृत है, को इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत समिति द्वारा खोला जाएगा। वित्तीय बोली खोलने की तिथि, समय तथा स्थल तकनीकी अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

7.3 बोली खोलने से पूर्व बोलीदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

7.4 बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति से बोली खोलने की प्रक्रिया की वैधता कम नहीं होगी।

7.5 बोली की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपस्थित बोलीदाता अथवा उनके प्रतिनिधियों से मुख्य बोली के लिफाफे पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।

7.6 तकनीकी बोली खोलने तथा ईएमडी राशि की पुष्टि करने के बाद, तकनीकी बोली का यह सुनिश्चित करने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा कि बोलीदाता निविदा दस्तावेज में, विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता पूरी करते है।

7.7 बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि द्वारा बोली लिफाफे पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने पर निविदा खोलने वाली समिति के निर्णय पर उसकी बोली को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

7.8 बोली निविदा खोलने वाली समिति के द्वारा प्रारम्भिक संवीक्षा के आधार पर वैध या अवैध घोषित की जाएगी। हालांकि, केवल वैध बोली के संबंध में विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

7.9 अवैध बोलियॉ उसी समय वापिस की जाएगी, यदि बोलीदाता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित है। अन्य मामलों में बोलियॉ निविदा खोलने वाली समिति की टिप्पणी सहित उनके पते पर स्पीडपोस्ट द्वारा प्रेषित की जाएगी।

8. तकनीकी बोली मूल्यांकन पर स्पष्टीकरण

8.1 तकनीकी बोलियां बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकित की जाएगी। बोलियों की जांच, मूल्यांकन तथा तुलना करने तथा बोलीदाताओं की अर्हता में सहायता करने के लिए ग्राहक अपने विवेक से, किसी भी बोलीदाता से इसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई

भी स्पष्टीकरण जो ग्राहक द्वारा किये गए अनुरोध के प्रत्युतर में नहीं होगा, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण एवं प्रतिक्रिया के लिए ग्राहक का अनुरोध लिखित में होगा।

8.2 यदि बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए ग्राहक के अनुरोध में निर्धारित तिथि तथा समय में अपना बोली स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है तो उसकी बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

8.3 ग्राहक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों पर जारीकर्ता एजेन्सी से पुष्टि/स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार भी रखता है।

9. तकनीकी बोली मूल्यांकन (अलग प्रकार से)

9.1 ग्राहक पृथक बोली मूल्यांकन प्रणाली का अनुसरण करेगा जहां तकनीकी बोली व वित्तीय बोली अलग से मूल्यांकित की जाएगी।

9.2 तकनीकी बोली मूल्यांकन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा:

(i) बोली की जवाबदेही अर्थात प्राधिकार पत्र सहित विधिवत रूप से भरा हुआ, हस्ताक्षरित किया हुआ तथा पूर्ण रूप से स्वीकृत बोली दस्तावेज की प्राप्ति।

(ii) स्वीकार्य प्रारूप में अपेक्षित राशि सहित वैध ईएमडी की प्राप्ति।

(iii) न्यूनतम अर्हता मानदण्ड पूरे करने के समर्थन में दस्तावेज़

(iv) निविदा के अनुसार बोलीदाता की जवाबदेही के समर्थन में अन्य दूसरे अपेक्षित दस्तावेज।

9.3 काफी हद तक उत्तरदायी बोली वह होगी जो समग्र रूप से बोली दस्तावेज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। निविदा दस्तावेज के अनुसार न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी न करने वाली तकनीकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी और उनका वित्तीय प्रस्ताव बिना खोले वापिस कर दिया जाएगा।

9.4 केवल तकनीकी मूल्यांकन स्तर में अर्हता प्राप्त बोलीदाता को वित्तीय बोली खोलने के लिए बुलाया जाएगा। ग्राहक बोलीदाताओं को लिखित में वित्तीय बोली खोलने के लिए समय/स्थान सूचित करेगा।

10. वित्तीय बोली खोलने की प्रक्रिया

10.1 तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त सभी बोलीदाताओं/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की वित्तीय बोलियॉ उनकी उपस्थिति में निर्धारित दिनांक व समय को खोली जाएगी जो वित्तीय बोली खोलने के समय पर उपस्थित रहना पसन्द करेगें।

10.2 वित्तीय बोली खुलने के समय उपस्थित सभी योग्य बोलीदाताओं/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वित्तीय बोली वाले सीलबन्द सभी लिफाफों पर हस्ताक्षर करने को कहा जाएगा।

10.3 इस का विरोध करने वाला कोई भी बोलीदाता से अयोग्य होगा तथा उसकी वित्तीय बोली उसी समय लौटा दी जाएगी।

10.4 बोलीदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति से प्रक्रिया की वैधता कम नहीं होगी।

10.5 वित्तीय बोली मूल्य स्पष्ट रूप से बताता है कि अन्तिम वित्तीय बोली कीमतें वित्तीय बोली में विस्तत समीक्षा/अंकीय त्रुटि में सुधार करने के पश्चात निश्चित की जाएगी।

10.6 सबसे कम बोली लगाने वाला बोलीदाता होना वित्तीय बोली की संवीक्षा से पूर्व सबसे कम बोली लगाने वाले का यह दावा करने का अधिकार नहीं देता कि वह बोली प्रक्रिया मे सफल है।

11 वित्तीय बोलियो का मूल्यांकन तथा तुलना

अंकगणीतीय चूको को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा: यदि यूनिट मूल्य तथा कुल मूल्य जो यूनिट मूल्य तथा मात्रा को गुण करके प्राप्त किया जाता है, के बीच भिन्नता हो तो यूनिट मूल्य माना जाएगा तथा कुल मूल्य का सुधार किया जाएगा। यदि विक्रेता चूको में सुधार को स्वीकार नहीं करता तो उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी। यदि शब्दो तथा अंको में भिन्नता हो तो शब्दो वाली राशि मानी जाएगी।

12 सफल बोलीदाता का निर्धारण तथा प्रिंटरो को सूची में शामिल करने के लिए प्रकिया

12.1 ग्राहक उच्च गुणवता वाले प्रिटंरो का चयन करेगा जिसकी बोली महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित की गई है तथा उसे न्यूनतम-1(एल-1) मूल्यों पर बेहत्तर मूल्यांकित बोली के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रिंटिंग कार्य उस प्रिंटर को दिया जा सकता है जो कार्यो को सही समय तथा जब अपेक्षित हो तब कर सकता हो।

12.2 उन बोलीदाताओं जिनकी बोली न्यूनतम (एल-।) मूल्यों पर न हो, के पास न्यूनतम (एल-1) बोलीदाता के साथ मूल्यो का मिलान करने का विकल्प होगा।

13. स्वीकृति का अधिकार:

13.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उन बोलीदाताओं को बिना किसी बोली में शामिल किए बिना कोई कारण बताएं अनुदेशों का अनुपालन करने में असफल होने पर अस्वीकृत करने का अधिकार है और सबसे न्यूनतम और अन्य किसी विशिष्ट बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

13.2 निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में बोलीदाता की ओर से कोई भी विफलता तथा कार्य के लिए प्रचार करने का कोई भी प्रयास बोलीदाता की बोली के निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

13.3 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को किसी भी सफल एजेंसी को अपने विवेक से पूर्ण अथवा आंशिक संविदा प्रदान करने का अधिकार है तथा यह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

13.4 एजेंसी जिसे करार दिया गया है द्वारा वर्णित निबंधन एवं शर्तों में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन करने मे असफल होने पर, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को किसी भी उच्च बोलीदाता या अन्य बाहृय एजेंसी को ठेका देने का अधिकार है तथा कीमतों की भिन्नता चूककर्ता एजेन्सी से वसूली की जाएगी जिसे प्रारम्भिक संविदा प्रदान की गई है और यह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी।

13.5 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को संविदा को समाप्त करने का अधिकार है यदि यह पाया जाता है कि बोलीदाता को जिसे संविदा दी गई है, किसी भी सरकारी विभाग/संस्थानों/स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि द्वारा पिछले अवसर पर ब्लैक-लिस्ट किया गया है।

14. ‘स्वीकृति पत्र’ जारी करके ठेका प्रदान किये जाने की अधिसूचना

14.1 सफल बोलीदाता का निर्धारण करने के पश्चात, ग्राहक सूची में शामिल सभी प्रिंटरों को एक डुप्लीकेट प्रति में स्वीकृति-पत्र जारी करेगा जो उनके द्वारा इसकी प्राप्ति के **तीन (03) दिनों** के अन्दर, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से भरी हुई, स्वीकृत की गई व हस्ताक्षरित की गई एक प्रति ग्राहक को वापिस करेगें।

14.2 बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी करना संविदा का एक अभिन्न अंग होगा तथा यह संविदा पर बाध्यकारी होगा।

15. निष्पादन बैंक गारन्टी (प्रतिभूति जमा)

15.1 सफल बोलीदाता स्वीकृति पत्र की स्वीकृति के पन्द्रह दिनों के अन्दर पीएओ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली के पक्ष में नई दिल्ली में ₹ 3 लाख की

राशि किसी भी राष्ट्रीय बैंक की गारन्टी/सावधि जमा के रूप में निष्पादन बैंक गारन्टी निष्पादित करेगा। निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जारी होने की तिथि से 15 माह की अवधि तक वैध होगी।

15.2 बैंक गारन्टी को संविदा की किसी निबंधन/शर्त का गैर-अनुपालन या असंतोषजनक निष्पादन या कार्य आदेश की गैर स्वीकृति अथवा किसी भी लापरवाही या उल्लंघन के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है। संविदा की समाप्ति पर उपरोक्त बैंक गारन्टी का ऐसा भाग फर्म के बिल पर किसी गलत या अत्यधिक भुगतान को कवर करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा रखा जा सकता है, जब तक फर्म के बिल के लेखे पर अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति अथवा जांच नहीं हो जाती।

क) यदि संविदाकार को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूति जमा करने के लिए बुलाया जाता है और संविदाकार विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय संविदाकार के जोखिम, लागत तथा खर्च पर अन्य प्रबन्ध करने का हकदार होगा।

ख) सभी संदर्भो में संविदा के उचित निष्पादन तथा समापन पर जमा प्रतिभूति निर्धारित फार्म में पूर्ण बेबाकी प्रमाण पत्र की प्रस्तुती पर तथा खरीददार से संबंधित ठेकेदार को जारी किये गए किन्हीं विनिर्देशों, नमूनों अथवा अन्य सम्पत्ति की अच्छी अवस्था में वापसी पर बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापिस की जाएगी।

16. भ्रष्ट या धोखाधड़ी पूर्ण कार्य

16.1 ठेकेदार को ठेके के निष्पादन और खरीद के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करना होगा।

16.2 ग्राहक पैनल हेतु प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है यदि यह निर्धारित करता है कि बोलीदाता द्वारा पैनल की सिफारिश से विवादास्पद ठेके की प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी पूर्ण कार्यप्रणाली शामिल है।

16.3 ग्राहक फर्म को या तो अनिश्चित काल तक या निर्धारित समयावधि के लिये अपात्र/ब्लैक-लिस्ट घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करे कि फर्म ने इस

बोली की प्रतिस्पर्धा या ठेके के निष्पादन में भ्रष्ट या धोखाधड़ी पूर्ण कार्यप्रणाली का प्रयोग किया है।

17. संविदा करार पर हस्ताक्षर करना

17.1 सफल बोलीदाता संविदा करेगा तथा करार की शर्तों के अनुसार संविदा करार पर हस्ताक्षर करेगा।

17.2 ग्राहक दोनो पक्षों के बीच करार की सभी शर्तों को उचित रूप से शामिल करते हुए इस दस्तावेज में शामिल प्रोर्फामा में मसौदा करार की शर्तें तैयार करेगा तथा सफल बोलीदाता की सहमति हेतु इसे डुप्लीकेट रूप में उसे भेजेगा।

17.3 सफल बोलीदाता ग्राहक से मसौदा करार की शर्तों की प्राप्ति के **दो (02) दिनों** के अन्दर सही राशि के स्टाम्प पेपर पर उचित रूप से छापी गई, स्टाम्प के रजिस्ट्रार द्वारा उचित रूप से निर्णीत, जहां संविदा की जानी प्रस्तावित है, मसौदा करार की शर्तों की उचित रूप से सहमत प्रतियां वापस करेगा।

17.4 ग्राहक का सक्षम प्राधकारी संविदा करार पर हस्ताक्षर करेगा तथा इसकी एक प्रति सफल बोलीदाता को वापस करेगा।

18. बयाना राशि जमा (बोली प्रतिभूती राशि) वापिस करना

18.1. ***तकनीकी बोली मूल्यांकन स्तर में*** असफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा योग्य वित्तीय बोलियों को खोलने के 7 दिन बाद उनकी खोली न गई वित्तीय बोलियों के साथ वापिस कर दी जाएंगी।

18.2 तकनीकी बोली मूल्यांकन स्तर में असफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा असफल बोलीदाता को ठेका देने पर 7 दिन के अन्दर वापिस कर दी जाएगी।

18.3 बोलिया खोलने के बाद निविदा के रद्दीकरण के मामले में और वित्तीय बोलियां खोलने से पूर्व सभी बोलीदाताओं की बयाना राशि जमा उनकी खोली न गई वित्तीय बोलियों के साथ वापिस कर दी जाएंगी।

18.4 बयाना राशि जमा पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

19. विविध

19.1 प्रत्येक बोलीदाता के लिये यह अनिवार्य होगा कि वो स्वयं को स्थानीय स्थितियों और कारक जो कार्य के निष्पादन और उसकी लागत को प्रभावित कर सकते हैं को पूर्ण रूप से पहचान ले।

9.2 इस बोली की वैधता के दौरान या बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, यदि बोलीदाता ग्राहक को निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर भारत में किसी अन्य विभाग/संस्थान को समान या अनुरूप सेवाऐं प्रदान करता है तो ठेकेदार ग्राहक को स्वत: लाभ देगा, ऐसा न करने पर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा और ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होने का पात्र होगा।

20. दिवालियापन

20.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसी घटना पर ठेकेदार को बिना मुआवजे के सरसरी तौर पर लिखित में नोटिस द्वारा ठेका समाप्त कर सकता है जो इस प्रकार है:

यदि ठेकेदार व्यक्ति विशेष हो गया फर्म हो, तो किसी भी समय दिवालिया घोषित होने पर या उसके विरूद्ध उसकी सम्पत्ति के प्रशासन के लिए प्राप्त आदेश या आदेशो या परिसमापन के लिए कोई कार्रवाई या उस समय लागू नहीं किसी दिवालियापन के तहत कोई संरचना या कोई सुविधा या उसके कार्य के प्रयास या कोई प्रबंधन करता है या अपने लेनदारो के साथ समझौता करता है या भुगतान स्थगित करे यदि फर्म भागीदारी के तहत भंग की जाती है अथवा;

i. यदि ठेकेदार कम्पनी होने पर, प्रस्ताव पास करेगा या कोर्ट मामले को समाप्त करने के आदेश जारी करेगा या डिबेंचरधारक की ओर से प्रबंधन या प्राप्तकर्ता नियुक्त किया जाये या परिस्थिति उत्पन्न हो जाये जो कोर्ट या डिबेंचरधारक को प्राप्तकर्ता या प्रबंधक नियुक्त करने का अधिकार देती है।

ii. यदि ठेकेदार इस ठेके का उल्लंघन करता है जिसका किसी विशिष्ट रूप से सबूत न हो, बशर्तें कि ऐसी अवधारणा कार्रवाई के किसी अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाएगी या उपचार उपचित किया जाएगा या उसके बाद ग्राहक को उपार्जित होगा और प्रदान किया गया है बशर्ते यह भी कि ठेकेदार खरीददार को किसी अतिरिक्त व्यय के भुगतान का दायी होगा, इस प्रकार वह, किसी लाभ या पुन: खरीद का हकदार नहीं होगा।

21 बोली की मुद्रा और भुगतान

21.1 बोलीदाता अपनी बोली कीमत/प्रस्ताव भारतीय रूपये में प्रस्तुत करेगा और इस ठेके के अन्तर्गत भुगतान भारतीय रूपये में किया जाएगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

भाग - 6

करार की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

1. परिभाषाऐं

1.1 सामान्य

अनुसूचियों सहित इस संविदा में निम्नलिखित शब्दों व वाक्याशों का अर्थ (जब तक संदर्भ में अन्यता अपेक्षित ना हो) इस अनुसूची में उन्हें दिया गया अर्थ है।

"करार"	'करार' तथा 'संविदा' शब्द को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है।
ग्राहक	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पार्टी	'पार्टी' शब्द से अभिप्राय उस सफल बोलीदाता से है जिसको प्रिंटिंग कार्य दिया गया है तथा ग्राहक ''भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय'' है।
स्वीकृति पत्र	का अर्थ ग्राहक की इच्छा से प्रिंटिंग कार्य के लिए सफल बोलीदाता की सूची बनाना और कार्य देना है।
समाप्ति तिथि	का आशय या तो एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दी गई समाप्ति सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से है, जिससे संविदा समाप्त हो जाएगी।
समाप्ति नोटिस	का आशय एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिए गए समाप्ति नोटिस से है।
संविदाकार	का आशय उस सफल बोलीदाता से है जिसे ग्राहक ने प्रिंटिंग कार्य दिया है।

1.2 गोपनीयता

ठेकेदार ग्राहक के व्यापार की सूचना, कोई भी गोपनीय सूचना किसी भी तृतीय पक्ष को बताने, प्रकट करने और/या प्रचारित न करने के लिये सभी सावधानी बरतेगा। यह दायित्व किसी क्षेत्र तक सीमित नही है तथा ग्राहक की सूचना की गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

2. ग्राहक द्वारा अपेक्षित सेवाएं

2.1 ठेकेदार (सूचीबद्ध प्रिंटरों) को ब्लैक और कलर (दो और चार कलर प्रिंटिंग) में बुक, ब्रोशर, फाइल कवर, विसिटिंग कार्ड, फोल्डर जैसे विभिन्न मदों की प्रिंटिंग हेतु प्रिंटिंग कार्य सेवा प्रदान करनी होगी।

2.2 ग्राहक बोली प्रक्रिया के समय ग्राहक और ठेकेदार (सूचीबद्ध प्रिंटरों) के बीच सहमत अनुसार प्रभारों का भुगतान करेगा। प्रभारों के भुगतान का कार्यक्रम बोली प्रक्रिया पूर्ण होने पर राशि निर्धारित होने के बाद करार की शर्तों के साथ संलग्न होगा।

3. सेवाऐं शुरू होना

यह ठेका निम्न के पश्चात कानूनी रूप से बाध्यकारी तथा लागू होगा:

3.1 सूचीबद्ध प्रिंटरों को ग्राहक द्वारा स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करने के बाद।

3.2 बोली दस्तावेज के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी का प्रस्तुतीकरण।

3.3 कार्य आदेश, जो सूचीबद्ध ठेकेदारों को ग्राहक द्वारा जारी किये जायेंगे जब और जहां आवश्यकता पडें।

4. ठेके की शर्तें

4.1 यदि ठेकेदार निर्धारित समय के अंदर कार्य का निष्पादन करने में असफल होता है या कार्य अधूरा छोडता है या कार्य पूर्ण करने से मना करता है या निर्धारित समय से अधिक समय लेता है, तो ठेकेदार, दण्ड का पात्र होगा। ग्राहक के पास अपने विवेकानुसार आदेश मूल्य का 1% से अधिकतम 10% तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। ऐसे मामलों में, ग्राहक के पास किसी भी अग्रिम नोटिस के बिना पैनल/ठेके को रद्द करने का अधिकार होगा और फर्म को ब्लैक-लिस्ट कर दिया जायेगा।

4.2 प्रिंटिंग बिल कार्य के अनुमोदन और संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के बाद ही स्वीकृत और अनुमत किये जायेंगे। ठेकेदार को पेपर विवरण सहित तीन प्रतियों में पूर्व-प्राप्ति बिल प्रस्तुत करने होंगे। प्रिंटर को कार्य वार बिल प्रस्तुत करने होंगे और इकट्ठा करके नहीं।

4.3 ग्राहक के पास कोई भी कारण बताये बिना किसी भी समय ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा। ठेका कार्य से उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में, ग्राहक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4.4 ग्राहक के पास पैनल में सूचीबद्ध किसी भी प्रिंटर से कोई भी प्रिंटिंग कार्य कराने का अधिकार होगा।

4.5 उच्च गुणवत्ता प्रिंटरों का पैनल तैयार करने की योजना के अनुसार, कार्य उस प्रिंटर को दिया जा सकता है जो निर्धारित समय जब और जहां आवश्यक हो के अंदर गुणवत्ता कार्य का निष्पादन करे।

4.6 जहां तक संभव हो प्रिंटिंग कार्य सूचीबद्ध प्रिटरों को समान रूप से दिया जायेगा बशर्ते निष्पादन संतोषजनक हो। इस प्रकार, सूचीबद्ध प्रिंटर कारोबार-जिस प्रकार का हो में वितरण और उत्पादन के अनुसार सौंपे गये कार्य का निष्पादन करेगा। कार्य आदेशों की

स्वीकृती और निष्पादन न करने को करार की शर्तों के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में माना जायेगा।

4.7 ठेकेदार को केवल उनके द्वारा किये गये संचालन हेतु भुगतान किया जायेगा। ग्राहक द्वारा कम्पोजिंग, प्रोसेसिंग, डिजिटल फार्मेट में फोटोग्राफ की इनपुटिंग जैसे कुछ कार्य किये जायेगे जिसके लिये प्रिंटर को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

4.8 प्रिंटेड प्रतियों के वितरण और सामग्री एकत्र करने के लिये प्रिंटर द्वारा इधर-उधर आने जाने हेतु मुफ्त मैसेंजर सेवा प्रदान की जायेगी।

4.9 बाइंडिंग उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिये।

4.10 सेवा की गुणवत्ता की प्रत्येक तीन माह के बाद समीक्षा की जायेगी।

4.11 केवल अत्यधिक उच्च गुणवत्ता स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिये और प्रिंटिंग अतिउच्च स्तर की होनी चाहिये।

4.12 ठेके की अवधि के दौरान उद्धृत और स्वीकृत दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

4.13 यदि

(I) समयावधि बनाये रखने में चूक;

(II) लंबित/खराब गुणवत्ता की प्रिंटिंग;

(III) कम आपूर्ति या खराब प्रतियां, नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा;

4.14 कम आपूर्ति या खराब गुणवत्ता के कारण बिल में अंतिम कटौती ग्राहक द्वारा की जायेगी।

4.15 बयाना राशि जब्त की जा सकती है यदि कार्य के लिये चयनित ठेकेदार उस बारे में सूचना की तिथि से सात दिनों के अंदर आदेश की स्वीकृति सुनिश्चित करने में असफल हो या कार्य आदेश में दी गई शुरू करने की तिथि से कार्य शुरू करने में विफल हो।

4.16 संविदा के संबंध में प्रचार पूर्ण रूप से वर्जित है और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत संविदा जिसमें प्रचार का सहारा लिया गया हो केवल इसी आधार पर अस्वीकृति कर दी जायेंगी।

4.17 प्रिंटिंग कार्य, उनके संबंधित क्षेत्र में उनके अनुभव और निष्पादन के प्रमाण के आधार पर दिया जायेगा और न केवल न्यूनतम दर के आधार पर।

4.18 ठेकेदार जिसे ग्राहक का प्रिंट कार्य दिया जायेगा को कार्य का निष्पादन अधिकतर कारोबार के रूप में करना चाहिये, निष्पादन के किसी भी स्तर पर कोई भी समझौता किये बिना, पूर्ण रूप से ईष्टतम और उच्च स्तर बनाये रखना चाहिये।

5. ठेकेदार की देयता

5.1 ठेकेदार, प्रिंटिंग सेवाऐं उपलब्ध कराने से जुड़े अपने कर्मचारी या ठेकेदार द्वारा गलत कार्य या लापरवाही, ठेके का किसी भी प्रकार उल्लंघन करने के कारण उसके या उनके

द्वारा किसी भी देयता, दावे, हानि या क्षति के प्रति ग्राहक और अपने कर्मचारियों को प्रभावित नहीं करेगा और पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा।

5.2 ठेकेदार, ग्राहक की पूर्व में लिखित अनुमति के बिना, उप-ठेका नहीं लेगा, ठेका या उसका कोई भी भाग किसी अन्य ठेकेदार को ट्रांसफर या नहीं सौंपेगा। यदि ठेकेदार इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो ग्राहक को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर ठेका किसी और को देना का अधिकार होगा और किसी भी हानि या क्षति जो ग्राहक को इस प्रकार से ठेका बदलने के कारण हो सकती है के लिये ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

6. ठेके की वैधता

प्रिंटिंरों की सूची के लिये ठेका, यदि दिया जाता है, तो ठेका प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा बशर्ते निष्पादन लगातार संतोषजनक हो। तथापि, ठेकेदार द्वारा इस पहलु पर विफल होने पर कार्यालय को ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने के अलावा ठेका को तुरंत समाप्त करने तथा ग्राहक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर उसे ब्लैक लिस्ट आदि करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकारी होगा। एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है जो ग्राहक के कार्यालय के एकमात्र विवेकाधिकार पर संतोषजनक सेवाओं के अध्यधीन होगा। तथापि, ठेका की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगीं।

7. भुगतान

7.1 ठेकेदार (सफल बोलीदाता) के रूप में चयन होने के बाद, करार की शर्तों के साथ में एक कीमत सूची संलग्न की जाएगी जिसके अनुसार प्रिंटिंग सेवाओं के लिए ग्राहक द्वारा ठेकेदार को सभी भुगतान किए जाएंगे।

7.2 कीमत अनुसूची में कीमतें किसी बिक्री कर/वैट के अलावा होगीं और उसे लागू दर के अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा।

7.3 ठेकेदार ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार मदों की सफल डिलिवरी के बाद ग्राहक के कार्यालय को क्रय आदेश/कार्य आदेश संदर्भित करते हुए बीजक उद्धृत करेगा। ग्राहक ठेकेदार से बीजक की प्राप्ति की तिथि से 20-25 दिन के अन्दर भुगतान करने के लिए सभी प्रयास करेगा।

7.4 लागत जिस पर प्रिंटरों का चयन किया गया है, वह एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। इस अवधि के दौरान ग्राहक द्वारा किसी कीमत वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.5 ठेके की एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद और यदि ग्राहक द्वारा ठेके का नवीकरण किया जाता है तो लागत का दोनों पार्टियों द्वारा परस्पर रूप से निर्णय किया जाएगा।

7.6 ठेका भुगतानों के अतिरिक्त, ग्राहक उसके द्वारा यथा अपेक्षित किसी अतिरिक्त अधिप्राप्ति के लिए भुगतान करेगा, जो कि कीमत अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है।

7.7 सभी भुगतान भारतीय मुद्रा में आदाता खाता चैक के माध्यम से किए जाएंगे।

7.8 ग्राहक ठेकेदार को किए गए किसी भुगतान से लागू कानून, आयकर या कर काटना या अन्य कटौती (जैसा भी मामला हो) के अनुसार कटौती करने का हकदार है और कटौती की गई राशि ठेकेदार को किया गया भुगतान माना जाएगा। ग्राहक की गई कटौती को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा।

7.9 कार्य के देने के आदेश के आधार पर कोई भुगतान अग्रिम में नहीं किया जाएगा और न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से किसी ऋण की सिफारिश की जाएगी।

8. अपरिहार्य घटना-पार्टियों के दायित्व

8.1 ''अपरिहार्य घटना'' का अर्थ होगा ग्राहक या ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर की कोई घटना, जैसा भी मामला हो, और जो प्रभावित पार्टी के यथोचित सावधानी के बावजूद अपरिहार्य हो और जिससे उचित दक्षता और सावधानी और अच्छी औद्योगिक प्रथाओं का उपयोग करके भी बचा न जा सके और उसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) युद्ध, युद्धस्थिति, आक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्यवाही और सिविल युद्ध;

(ii) विद्रोह, क्रान्ति, बगावत, गदर, साजिश, दंगा, नागरिक उपद्रव और आतंकी कार्रवाई;

(iii) हड़ताल , तोड़ फोड़, अवैध लाकआउट, महामारी, संगरोध और प्लेग;

(iv) भूकम्प, आग, बाढ़, या चक्रवात अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा ।

जैसे ही यथोचित रूप से व्यवहार्य हो किन्तु अपरिहार्य घटना की किसी स्थिति के प्रारंभ की तिथि के 48 (अडतालिस) घंटे से अधिक नहीं, प्रभावित पार्टी निम्नलिखित यथोचित विवरण के साथ साथ अपरिहार्य घटना के मामले में दूसरी पार्टी को अधिसूचित करेगी:

8.1.2 अपरिहार्य घटना के प्रारंभ होने की तिथि;

8.1.3 अपरिहार्य घटना की प्रकृति और सीमा,

8.1.4 अपरिहार्य घटना की अनुमानित अवधि;

8.1.5 इस प्रकार के विलम्ब या विफलता की प्रवृति का यथोचित प्रमाण तथा निष्पादन के समय पर इसके प्रत्याशित प्रभाव तथा प्रवृति एवं वह सीमा जिस तक ठेके के तहत् उसकी किसी देयताओं के निष्पादन अप्रत्याशित घटना के प्रभावित हुए है।

8.1.5 अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने/घटाने के लिए प्रभावित पार्टी द्वारा किए गए या प्रस्तावित उपाय और उससे प्रभावित उसकी ऐसी देयताओं के निष्पादन को फिर से प्रारंभ करना।

8.1.6 अपरिहार्य घटना से संबंधित कोई अन्य सुसंगत सूचना और/या ठेके के तहत पार्टियों के अधिकार या देयताएं।

9. शासित कानून और विवादों का निपटान

9.1 इसकी शर्तों की व्याख्या सहित इस ठेके से संबंधित या उत्पन्न कोई दावा, विवाद और या भिन्नताएं (इस संविदा के अस्तित्व, वैधता या समाप्ति से संबधित विवाद सहित) संबंधित पार्टियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त चर्चा के माध्यम से सुलझाएं जाएंगे। तथापि, जैसा ऊपर बताया गया है यदि विवाद का समाधान 30 दिनों की अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो मामला मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों जिसमें आशोधन, संशोधन और भावी नियम हैं के प्रावधानों के अनुसार पार्टियों द्वारा नियुक्त किए गए एक मात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता को अधिनिर्णय के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता का स्थल नई दिल्ली होगा और मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम और पार्टियों पर बाध्य होगा।

9.2 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** यह संविदा भारत गणराज्य के नियमों द्वारा शासित है और दिल्ली के न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

10. समाप्ति

यह संविदा किसी पार्टी द्वारा दूसरी को लिखित सूचना देकर तत्काल समाप्त की जा सकती है यदि:

10.1 अन्य पार्टी इस करार के अन्तर्गत उसकी देयताओं के प्रत्यक्ष उल्लंघन में हो और इस प्रकार के उल्लंघन के मामले में जिसका उपचार किया जा सकता है ऐसे उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर उस उल्लंघन का सुधार करने में असफल होने पर; या

10.2 संविदा ग्राहक द्वारा ठेकेदार को लिखित नोटिस देने के द्वारा तत्काल समाप्त की जा सकती है यदि ;

10.2.1 ठेकेदार द्वारा ठेके की किसी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में, ग्राहक के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए ठेका रद्द करने का आधिकार होगा, और ठेकेदार द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा के मामले में ग्राहक द्वारा कुछ भी देय नहीं होगा और उसे जब्त और भुना लिया जाएगा।

10.2.2 यदि ठेकेदार ग्राहक की आवश्यकता या/ और आवश्यकताओं की अनुसूची के अनुसार अपेक्षित सेवाएं संतोषजनक तरीके से प्रदान नही करता है।

10.2.3 यदि ठेकेदार दिवाला निकाल देता है और दिवालिया हो जाता है।

11. दावा त्यागना

ग्राहक के रिश्तेदारों/कर्मचारियो के निकट रिश्तेदारों को इस बोली में भाग लेने की मनाही है। इस उद्देश्य के लिए निकट संबंधियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(क) अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्यों के रूप में;

(ख) उनके पति या पत्नी

(ग) एक का दूसरे से इस प्रकार से संबंध जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्र की पत्नी (बहु), पुत्री, पुत्री की पति (दामाद) भाई एवं भाई की पत्नी, बहन और बहन पति (बहनोई) ।

भाग - 7

आवश्यकताओं की अनुसूची

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

कार्य का क्षेत्र एवं आवश्यकताएं

3 प्रिंटरों का पैनल तैयार करने की योजना बनाई गई है जो निविदा दस्तावेज की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार ग्राहक की संतुष्टि हेतु उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग सेवाएं उपलब्ध करा सके। प्रिंटर से जब तथा जहां अपेक्षित होगा प्रिंटिंग कार्य करना अपेक्षित होगा। यह कार्य उच्च प्रतिष्ठापूर्ण प्रवृति के है, अत: इसकी गुणवत्ता तथा उत्पादन सूची का निष्ठापूर्वक रख-रखाव करना होगा। प्रिंट आदेश कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। प्रिंटर में तत्काल आधार पर सिंगल/2/4-रंग संबंधी कार्य करने की पर्याप्त क्षमता अवश्य होनी चाहिए।

यदि प्रुफ/मुद्रित प्रतियों की आपूर्ति में कोई विलंब होता है तो, ग्राहक को कार्य को वापस लेने का अधिकार है तथा पूरे किए गए या प्रगतिशील कार्य के किसी भाग के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। विस्तृत तकनीकी विनिर्देश तथा मदों, जिनके लिए दरें अपेक्षित है, को बोली दस्तावेज में दिया गया है।

विनिर्देश तथा तकनीकी ब्यौरें

(i) टाइपसैटिंग तथा स्कैनिंग:अंग्रेजी तथा हिंदी या द्विभाषी में विभिन्न आकारों हेतु लेजर टाइपसैटिंग (डीटीपी) टैक्स्ट

(ii) स्कैनिंग

(iii) कम्पोजिंग

(iv) 80 जीएसएम, 90 जीएसएम तथा 95 जीएसएम के पेपर (लिथो पेपर/सनसाइन सुपर प्रिंट पेपर/आर्ट पेपर) के साथ प्रिंटिंग

क. एक रंगों में

ख. दो रंगों में

ग. चार रंगों में

(v) 300 जीएसएम, 250 जीएसएम, 130 जीएसएम-90 जीएसएम के आर्टकार्ड (आर्ट कार्ड की लागत सहित) पर प्रिंटिंग

(vi) लैमिनेशन: (उच्च गुणवत्ता की फिल्म का उपयोग करते हुए लैमिनेशन)

क. ग्लोसी/मैट फिनिश लैमिनेशन

(vii) बाइंडिंग

क. सामान्य बाइंडिंग: प्रति पुस्तक जिसमें कटिंग, फोल्डिंग, सभी आकरों के कवर सहित एकत्रण, फोल्डर की कटिंग और फोलडिंग तथा सामग्रियां शामिल है।

ख. हार्ड बाइंडिंग: प्रति पुस्तक जिसमें कटिंग, फोल्डिंग, एकत्रण, सभी आकारों के कवर के साथ सैक्शन सीवन, फोल्डरों की कटिंग तथा फोल्डिंग

(viii) विजिटिंग कार्डों की प्रिंटिंग (पेपर की लागत सहित):

क. लोगो के साथ सिन्थैटिंक पेपर पर (100 कार्ड)

ख. गोल्डन लोगो एम्बोजिंग के साथ हाथ से बने पेपर पर आइवरी कार्ड (100 कार्ड)

ग. गोल्डन लोगो के साथ हाथ से बने पेपर 250 जीएसएम पर (100 कार्ड)

(ix) पत्र शार्षों की प्रिंटिंग (पेपर की लागत सहित):

क. गोल्डन एम्बोजिंग के साथ आयातित पेपर (100 जीएसएम) पर डीओ पत्र शीर्ष (प्रत्येक पैड 100 शीट)

ख. गोल्डन एम्बोजिंग के साथ हाथ से बने पेपर (100 जीएसएम) पर डी.ओ. पत्र शीर्ष (प्रत्येक पैड 100 शीट)

ग. सामान्य लोगो (लाल) के साथ विशेष बॉन्ड पेपर (90 जीएसएम) पर डी.ओ. पत्र शीर्ष (प्रत्यक पैड 100 शीट)

घ. लोगो (लाल) के साथ विशेष बॉन्ड पेपर (90 जीएसएम) पर सामान्य पत्र शीर्ष (प्रत्येक पैड 100 शीट)

(x) फाइल कवर की प्रिंटिंग (फाइल कवर की लागत सहित)

क. अंदर की तरफ वाक्यांश की प्रिंटिंग के साथ दो रंगों की प्रिंटिंग तथा आइलाइट्स/पैटी आदि के साथ हाथ से बने सामान्य फाइल कवर (प्रत्येक फाइल कवर)

ख. दो रंगो की प्रिंटिंग आइलाइट्स/पैटी आदि के साथ मोटे फाइल कवर (प्रत्येक फाइल कवर)

(xi) स्पाइरल स्लिप पैड की प्रिंटिंग (सभी सामग्री की लागत सहित)

क. लोगो, लेखांकन तथा सादा कवर के साथ दो रंगो में प्रिंटिंग (प्रत्येक पैड में 25 शीट, 50 शीट,75 शीट तथा 100 शीट)

(xii) प्लास्टिक फोल्डर की प्रिंटिंग (सामग्रियों की लागत सहित)

क. सामान्य लोगो के साथ दो रंगो की प्रिंटिंग के साथ

(xiii) कार्मिक फाइल कवर की प्रिंटिंग (वरिष्ठ अधिकारियों के)

(xiv) लिफाफों की प्रिंटिंग (सामग्री सहित)

क. क्लॉथ लाइन्ड भूरे रंग के लिफाफे (16x12 -एसई-8ए)

ख. क्लॉथ लाइन्ड भूरे रंग के लिफाफे (10x12)

ग. क्लॉथ लाइन्ड भूरे रंग के लिफाफे (एसई-7ए)

घ. सादे लिफाफे (एसई-7)

ङ. भूरे रंग के सादे लिफाफे (*9x4)

च. भूरे रंग के सादा विंडो लिफाफे (9x4)

छ. सादे लिफाफे (प्लेन भूरे रंग के 11x5)

ज. लिफाफे (विंडो ब्राउन 11x5)

झ. सादा लिफाफे (16x12 एसई-8)

ञ. गोंद लगे सफेद लिफाफे ए-4 साइज,

ट. गोंद लगे सफेद लिफाफे (11x5)

(xv) निमंत्रण कार्ड की प्रिंटिंग (आरइवरी कार्ड/हाथ से बने पेपर)

(xvi) कैरी बैग की प्रिंटिंग (हाथ से बने पेपर)

(xvii) मीटिंग फोल्डर्स

(xviii) वाहन पार्किंग स्टिकर्स (गोल आकार में)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

भाग - 8

कीमत सूची

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

<u>अपना मूल्य उद्धृत करें</u>

(i) **टाइपसेटिंग/कम्पोजिंग** : हिंदी और अंग्रेजी अथवा द्विभाषी रूप में विभिन्न आकार के लेज़र टाइपसेटिंग (डीटीपी) टेक्स्ट हेतु दरें **(दर प्रति पृष्ठ)।** ....

(ii) **स्कैनिंग (दर प्रति पृष्ठ/फोटो)** ....

(iv) 80 जीएसएम, 90 जीएसएम और 95 के पेपर वाली प्रिंटिंग हेतु उद्धृत दरें (लीथो पेपर/सनसाइन सुपरप्रिंट पेपर/आर्ट पेपर (प्रति 1000 प्रतियाँ):

क. एक रंग के ..../.............../.............../...............

ख. दो रंग के ..../.............../.............../...............

ग. चार रंग के ..../.............../.............../...............

(v) 300 जीएसएम, 250 जीएसएम, 130 जीएसएम-90 जीएसएम के **आर्ट कार्ड** प्रिंटिंग हेतु उद्धृत दरें (आर्ट कार्ड के मूल्य सहित) (प्रति 1000 प्रतियाँ) ..../.............../.............../...............

(vi) **लेमिनेशन हेतु उद्धृत दरें** : (उच्च गुणवत्ता फिल्म का प्रयोग करते हुए लेमिनेशन)

क. ग्लोसी/मैट फिनिश लेमिनेशन ....

(vii) बाइंडिंग हेतु उद्धृत दरें

क. **साधारण बाइंडिंग** : कटिंग, फोल्डिंग, सभी आकार के कवर वाले संग्रहण, ...

	कटिंग सहित प्रति पुस्तिका एवं फोल्डर्स एवं अन्य सामग्री की फोल्डिंग	
	ख. **मजबूत बाइंडिंग** : कटिंग, फोल्डिंग, सिलाई, सभी आकार के कवर वाले संग्रहण, कटिंग सहित प्रति पुस्तिका एवं फोल्डर्स एवं अन्य सामग्री की फोल्डिंग	....
(x)	विजिटिंग काड्र्स की प्रिंटिंग हेतु उद्धृत दरें (पेपर के मूल्य सहित):	
	क. लोगो के साथ सिंथेटिक पेपर पर (100 काड्र्स)	....
	ख. गोल्डेन लोगो उभार के साथ हाथ से बने पेपर आइवरी कार्ड पर (100 काड्र्स)	....
	ग. गोल्डेन लोगो के साथ हाथ से बने 250 जीएसएम पेपर पर (100 काड्र्स)	....
(xi)	लेटर हेड की प्रिटिंग हेतु उद्धृत दरें (पेपर के मूल्य सहित):	....
	क. (गोल्डेन उभार 100 जीएसएम प्रति पैड वाले) आयातित पेपर पर अर्द्धशासकीय लेटर हेड (100 शीट प्रति पैड)	....
	ख. हाथ से बने पेपर (गोल्डेन उभार वाले 100 जीएसएम) पर अर्द्धशासकीय लेटर हेड (100 शीट प्रति पैड)	....
	ग. लोगो (लाल) के साथ एक्जेक्यूटिव बांड पेपर (90 जीएसएम) पर	....

अर्द्धशासकीय लेटर हेड (100 शीट प्रति पैड)

घ. लोगो (लाल) के साथ एक्जेक्यूटिव बांड पेपर (90 जीएसएम) पर साधारण लेटर हेड (100 शीट प्रति पैड)

(xii) फाइल कवर्स की प्रिंटिंग हेतु उद्धृत मूल्य (फाइल कवर के मूल्य सहित):

क. अंदर वाले भाग पर वाक्यों की प्रिंटिंग के साथ दो कलर की प्रिंटिंग और आईलाइट्स/पट्टी आदि के साथ हाथ से बने फाइल कवर (प्रति फाइल कवर) ....

ख. दो कलर की प्रिंटिंग आईलाइट्स/पट्टी आदि के साथ मोटे फाइल कवर (प्रति फाइल कवर) ....

(xiii) स्पाइरल स्लिप पैड्स की प्रिंटिंग हेतु उद्धृत दरें (सभी वस्तुओं के मूल्य सहित)

क. लोगो के साथ लिखे और सादे कवर के दो कलर की प्रिंटिंग में (प्रति पैड में 25 शीट, 50 शीट, 75 शीट और 100 शीट) ....

ख. लोगो और फोटो कवर के साथ चार कलर की प्रिंटिंग में (प्रति पैड में 25 शीट, 50 शीट, 75 शीट और 100 शीट) ....

(xiv) प्लॉस्टिक फोल्डर की प्रिंटिंग हेतु उद्धृत दरें (सभी वस्तुओं के मूल्य सहित)

क. लोगो के साथ दो कलर प्रिंटिंग

वाले साधारण फोल्डर ....

(xv) व्यक्तिगत फाइल कवर (वरिष्ठ अधिकारियों के लिए) की प्रिंटिंग हेतु उद्धृत दरें ....

(xvi) लिफाफों की प्रिंटिंग हेतु उद्धृत दरें (सभी वस्तुओं के मूल्य सहित)

क. कपड़ों की परत वाले भूरे लिफाफे (16x12 - एसई - 8ए) ....

ख. कपड़ों की परत वाले भूरे लिफाफे (10x12) ....

ग. कपड़ों की परत वाले भूरे लिफाफे (एसई - 7ए) ....

घ. सादे लिफाफे (एसई - 7ए) ....

ङ. सादे लिफाफे भूरे (9x4) ....

च. सादे लिफाफे विंडो ब्राउन (9x4) ....

छ. सादे लिफाफे (सादे भूरे 9x4) ....

ज. लिफाफे (विंडों ब्राउन 11x5) ....

झ. सादे लिफाफे (16x12 एसई - 8) ....

ञ. ए-4 आकार के स्वयं चिपकने वाले सफेद लिफाफे ....

ट. स्वयं चिपकने वाले सफेद लिफाफे (11x5) ....

(xvii) निमंत्रण कार्ड की प्रिंटिंग हेतु उद्धृत मूल्य (आइवरी कार्ड/हाथ से बने पेपर) ....

(xviii) कैरी बैग्स की प्रिंटिंग हेतु उद्धृत मूल्य

	(हाथ से बने पेपर) (300/500 पीस)	....
(xix)	मीटिंग फोल्डर्स हेतु उद्धृत मूल्य (600 जीएसएम कार्ड शीट्स) (250/300 पीस)	....
(xx)	वाहन पार्किंग स्टीकर्स (गोल आकार) हेतु उद्धृत मूल्य	....
	4”	....
	5”	....
	7”	....
(xxi)	लैनयार्ड की प्रिंटिंग (चयनित नमूने की सामग्री सहित)	....
(xxii)	नेम बैजेज की प्रिंटिंग (चयनित नमूने की सामग्री सहित)	....
(xxiii)	डीएआईज़ हेतु नेम प्लेट्स की प्रिंटिंग (चयनित नमूने)	....
(xxiv)	प्रतिनिधि नेम प्लेट्स की प्रिंटिंग (चयनित नमूने)	....
(xxv)	फोटो फ्रेम की प्रिंटिंग (चयनित नमूने)	....
(xxvi)	डिजिटल प्रिंटिंग (प्रति पृष्ठ मूल्य)	....
(xxvii)	डिजिटल प्रिंटिंग (कवर) प्रति कवर प्रिंट	....

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

भाग - 9

फार्म

खण्ड **9.1** बोली प्रतिभूति फार्म

खण्ड **9.2** वित्तीय क्षमता हेतु फार्म

खण्ड **9.3** करार के अनुच्छेद

खण्ड **9.4** निष्पादन बैंक गारंटी

खण्ड **9.5** बोली के समय उपस्थित रहने के लिए प्राधिकार पत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

फॉर्म-I

बोली प्रतिभूति फॉर्म

सं.................. दिनांक................

सेवा में,

निदेशक (कार्मिक)...... (इसके बाद "ग्राहक")
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली

चूंकि मैसर्ज................................(इसके बाद 'बोलीदाता' कहा गया) ने निविदा सं. -जीएस/16-2015 दिनांक ………….. के अनुसार प्रिंटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक .... को इसकी बोली को प्रस्तुत किया गया है। ***सभी ज्ञात व्यक्तियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है*** कि हम .... में हमारा पंजीकृत कार्यालय के ....हैं।

(इसके बाद बैंक) रू 1,00,000/- (एक लाख रूपऐ केवल) की राशि ग्राहक/विभाग के पास आबद्ध है जिसके लिए ग्राहक/विभाग को भुगतान किया जाएगा, बैंक स्वयं इसके लिए बाध्य है, जो इसके उत्तराधिकारी तथा इनके मौजूदा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित करते हैं।

जबकि .... (बोलीदाता का नाम) (इसके बाद में ''बोलीदाता'' कहा जाएगा) ने फोटोकॉपी पेपर प्रदान करने हेतु दिनांक .... को अपनी बोली प्रस्तुत की है (इसके बाद इसे ''बोली'' कहा जाएगा।

जबकि बोलीदाता को उपरोक्त के अनुसार बोलीदाता के प्रस्ताव के प्रति निष्पादन सुरक्षा के रूप में ₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख मात्र) की राशि की बैंक गारंटी देनी होगी।

और जबकि .... (बैंक का नाम) बोलीदाता के अनुरोध पर इसके बाद यह गारंटी को देने पर सहमत है।

दायित्वों की शर्ते हैं:

1. यदि बोलीदाता बोली फॉर्म पर बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापिस लेता है अथवा
2. यदि बोलीदाता, बोली वैधता की तिथि के दौरान, ग्राहक द्वारा उसकी बोली की स्वीकृति को अधिसूचित किए जाने के बाद यदि आवश्यक हो।

(क) संविदा को निष्पादित करने में असफल रहता है/इनकार करना है यदि आवश्यक हुआ;

अथवा

(ख) बोलीदाता को दिए गए अनुदेशों के अनुसार निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में असफल रहना/इनकार करना।

अथवा

(ग) ग्राहक की संतुष्टि के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में असफल रहना/इनकार करना।

अथवा

(घ) यदि ठेका प्राप्त करने के लिए झूठे/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में निविदा समाप्त कर दिया जाता है।

हम ग्राहक/विभाग द्वारा अपनी मांग की पुष्टि किए बिना, इसकी पहली लिखित मांग की प्राप्ति पर उपरोक्त राशि तक भुगतान करने का वचन देते है बशर्ते कि अपनी मांग में ग्राहक/विभाग प्रयुक्त शर्त अथवा शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, किसी एक या दोनों शर्तों के कारण इसके द्वारा दावा की गई राशि की मांग का औचित्य न हो।

यह गारन्टी, बोली वैधता की अवधि के बाद 120 दिनों तथा तीस (30) दिनों सहित तक बोली दस्तावेज के .... में निर्दिष्टानुसार लागू रहेगी तथा इस सन्दर्भ में कोई मांग विनिर्दिष्ट तिथि से पहले बैंक में पहुंच जानी चाहिए।

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

गवाह का पता

बैंक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

की क्षमता में हस्ताक्षरित

शाखा का पूरा पता

शाखा का दूरभाष नं.

शाखा की फैक्स सं.

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

फार्म-।।

वित्तीय क्षमता हेतु फार्म

वार्षिक टर्नओवर	2014-15	2015-16
निवल मूल्य		
वर्तमान परिसम्पत्तियॉ		
वर्तमान देयताएं		
कुल राजस्व		
कर से पूर्व लाभ		
कर के पश्चात लाभ		

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

फार्म-III

संविदा करार सं. /जीएसएस/16-2014 दिनांक ....

यह करार **निदेशक (का.), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय** (इसके बाद ''ग्राहक'' के रूप में संदर्भित जिसका वक्तव्य इस तथ्य के अलावा या असंगत न हो तो उसे उसका अनुवर्ती या वारिस माना जाएगा)। के बीच दिनांक .... को किया गया, और जिसके कार्यालय का मुख्य स्थान पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के एक भाग में है,

और

मै. .... अपने पंजीकृत कार्यालय .... पर (इसके बाद ''ठेकेदार'' के रूप में संदर्भित जिसका वक्तव्य इस तथ्य के अलावा या असंगत न हो तो उसे उसका अनुवर्ती या वारिस माना जाएगा, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और वारिस माना जाएगा) अन्य भागों से ग्राहक को किराये के वाहनों की सेवाएं प्रदान के लिए है।

यह करार निम्नलिखित प्रमाणित करता है:

I- **'निविदा सं. .... /जीएस/16-2014 के अंतर्गत अपने कार्यालय में किराये के वाहन सेवाएं प्राप्त करने के लिए''** दिनांक .... को सूचना आमंत्रण निविदा द्वारा जहाँ ग्राहक ने खुली निविदा द्वारा बोलियां आमंत्रित की।

II- और ठेकेदार द्वारा बोली दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपनी बोली द्वारा .... प्रस्तुत की गई तथा इसमें दर्शाया कि वह सभी अपेक्षाएं पूरी करता है और सभी संसाधन उसके पास हैं और ग्राहक को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम है।

III- **और** ग्राहक ने मै. .... को सफल बोलीदाता (''ठेकेदार'') के रूप में संविदा मूल्यों की बोली प्रक्रिया और समझौते के अनुसार चयनित किया है .... कुल राशि (केवल .... रूपये) के लिए दिनांक .... को ठेकेदार को **स्वीकृति पत्र सं (एलओए)** सौंप दिया गया ।

IV- **और** ग्राहक यह इच्छा रखता है कि फोटो कॉपी पेपर (बोली दस्तावेज में यथा परिभाषित) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध, निष्पादित, कार्यान्वित और पूरी की जाएंगी, और फोटो कॉपी पेपर उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति की आशा रखता है।

V- **और** ठेकेदार यह स्वीकार करता है कि ग्राहक अपने परिसर में फोटो कॉपी पेपर उपलब्ध कराने के लिए अन्य ठेकेदारों/पार्टियों के साथ ठेका कर लेगा यदि ठेकेदार निविदा दस्तावेज में बताये गये निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करता है तो इस संबंध में उसका दावा भी समाप्त हो जाएगा।

VI- **और** इस संविदा की निबंधन और शर्तें पूर्णत: सक्षम क्षमता और समान शक्ति वाली पार्टियां होने के कारण ग्राहक और ठेकेदार के बीच तय की गई है।

VII- **और** ठेकेदार ने पूर्णत: पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा ग्राहक के परिसर में किराया वाहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निविदा दस्तावेजो में दर्शाई गई सभी निंबधन और शर्तों का पालन करेगा, इसमें विफल होने पर ग्राहक द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय पर ठेके को रद्द करने का दायी है।

VIII- ग्राहक और ठेकेदार निम्नलिखित का अनुसरण करने के लिए सहमत है:

1. इस करार में (दोहराव सहित) मोटे शब्दों और वक्तव्यों का वही अर्थ होगा जो संबंधित संदर्भित ठेका दस्तावेजों में उनको बताया गया है।

2. निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रपत्र समझा जाएगा और इस करार के भाग के रूप में पढा जाएगा और आशय निकाला जाएगा। यह करार सभी अन्य ठेका दस्तावेजों पर लागू होगा।

(क) ग्राहक द्वारा जारी किया गया स्वीकृति पत्र(एलओए)।

(ख) समय-समय पर ग्राहक द्वारा जारी खरीद आदेश/आपूर्ति आदेश।

(ग) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई संपूर्ण बोली ।

(घ) ग्राहक द्वारा जारी किया गया अनुशेष भुगतान, यदि कोई है।

(ङ) आज तक इस संविदा समझौते के भाग को बनाने वाला कोई अन्य दस्तावेज (निष्पादन बैंक गारंटी, बैंक गारंटी)

(च) करार के इस अनुच्छेद में जोड़ी गई प्रभार-सूची ।

(छ) समय-समय पर कार्यान्वित अनुपूरक करार।

3. बाद में ठेका समझौते में समावेशित किये जाने वाले अपेक्षित किसी परिवर्तन/ सुधार/ संशोधन पर चर्चा की जाएगी तथा दोनों पार्टियों द्वारा परस्पर सहमति ली जाएगी और ऐसे अनुपूरक करार दोनों पार्टियों पर लागू होंगे तथा इस ठेका समझोतें का भाग होंगे।

4. यह संविदा भारत के कानून अनुसार शासित और निर्मित माना जाएगा। प्रत्येक पार्टी ठेके की शर्तों के अनुसार मतभेद समाधान प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

VII. **साथ ही प्रमाण के रूप में** पार्टियां तैयार किये गये करार को विनिर्दिष्ट दिन, महीने और वर्ष पर भारतीय कानून के अनुसार पालन करेंगी।

ठेकेदार की ओर से हस्ताक्षरित

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय की ओर से हस्ताक्षरित

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

निष्पादन बैंक गारंटी

(उचित मूल्य वाले गैर-न्यायिक मुद्रांक कागज पर दी जाए)

दिनांक : ....

बैंक गारंटी सं. :...

गारंटी राशि :..

गारंटी अवधि :.................से.............................. तक

गारंटी समाप्ति तिथि :...

प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि :..........................

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग ,नई दिल्ली 110124 (इसके बाद 'मालिक' के रूप में संदर्भित जिसका वक्तव्य इस तथ्य के अलावा असंगत न हो तो अपने विधिक प्रतिनिधियों, अनुवर्तियों और वारियों सहित को शामिल करता है) ने अपने कार्यालय में [कृपया स्वीकृति पत्र (एलओए) की स्वीकृति की तिथि डालें]__________ को संविदा का अनिवार्य रूप से ('' किराया वाहन सेवाएं'') के निष्पादन, कार्यान्वयन और उपलब्ध कराने के लिए (इसके बाद ''ठेकेदार'' के रूप में संदर्भित जिसका वक्तव्य इस तथ्य के अलावा असंगत न हो तो अपने विधिक प्रतिनिधियों, अनुवर्तियों और वारियों सहित को शामिल करता है और कार्य अनुमत करता है) निविदा दस्तावेज संख्या [निविदा दस्तावेज की संदर्भ संख्या डाले] दिनांक [निविदा दस्तावेज को जारी करने की तिथि डालें]………………….. और इसके भाग के रूप में अन्य विभिन्न दस्तावेज में बताये गये निबंधन और शर्तों का आधार पर संविदा में इसका निहित अर्थ होगा।

और संविदा की एक शर्त कि ठेकेदार, निष्पादन बैंक गारंटी दायित्व और की गई आपूर्तियों के लिए ठेकेदार के अन्य दायित्व और संविदा के अंतर्गत उपलब्ध और कार्यान्वित सेवाओं सहित संविदा के उचित और विश्वसनीय निष्पादन के प्रति (यहां इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटी की गई राशि **''गारंटी के रूप में दी गई राशि''** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जिसे 3,00,000/- (केवल तीन लाख रूपये) की राशि के लिए नई दिल्ली की किसी शाखा में भारत में किसी निर्धारित बैंक से मालिक को एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा । यह बैंक गारंटी यहां दी गई तिथि से इसकी किसी समय विस्तार सहित संविदा अवधि की समाप्ति तक की तिथि तक वैध होगी, जो कि प्रारंभिक तौरपर संविदा दिए जाने से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे प्रारंभिक तौरपर संविदा दिए जाने के विस्तारण की दशा बाद में बढ़ाया जायेगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

और ठेकेदार का [अनुसूचित बैंक का नाम डालें] (यहां के बाद ''**बैंक**'' के नाम के रूप में संदर्भित) .... पर जिनका अपना पंजीकृत कार्यालय है [पता डालें] और ठेकेदार के अनुरोध पर तथा ठेकेदार द्वारा किये गये वादों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऐसी गारंटी देने के लिए सहमत है जो इस प्रकार है:

(i) बैंक इस गारंटी के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है मालिक द्वारा की गई मांग पर केवल ठेकेदार की किसी पूछताछ या अधिसूचना के बिना आगे के किसी प्रमाण या शर्तों के बिना या आपत्ति आरक्षण, विवाद, अवलंब या विरोध के बिना और मालिक द्वारा दावा की गई गारंटी के रूप में दी गई राशि मालिक द्वारा दावा की गई गारंटी राशि बताते हुए दावा की गई राशि संविदा के अन्तर्गत मालिक को देय होगी। इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत बैंक द्वारा देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में मालिक द्वारा बैंक से की गई ऐसी कोई मांग निर्णायक होगी और ऐसी मांग में मालिक द्वारा दावा की गई कुल राशि, जो भी हो, किसी कटौती या छूट या प्रतिदावों बिना बैंक अदा करेगा। मालिक इस बैंक गारंटी के अंतर्गत असीमित संख्या में मांग करने का अधिकार होगा बशर्ते कि इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत बैंक द्वारा मालिक को अदा की गई सभी राशियों का औसत गारंटी राशि से अधिक नहीं होगा। पीबीजी मूल्यों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मांग के प्रत्येक मामले में, मालिक मूल्य में संशोधन के लिए बैंक से मौजूदा पीबीजी को सौंपेंगे।

(ii) यद्यपि, इस बैंक गारंटी के अंतर्गत बैंक की देयता 3,00,000/- (केवल तीन लाख रूपये) राशि से अधिक नहीं होगी .... केवल)।

(iii) मालिक को बैंक के संदर्भ के बिना और ठेको के अंतर्गत मालिक को प्रदत्त किसी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग किसी समय या समय-समय पर स्थगित करने के लिए बैंक गारंटी को प्रभावित किये बिना तथा किन्हीं शक्तियों या अधिकारों को लागू करने के लिए या अनुमति देने के लिए या निश्चितता संबंधी कानून के अंतर्गत ठेकेदार को दिये गये समय के कारणों के अनुसार होगा परन्तु प्रावधानों के लिए सुरक्षा देने के प्रभाव होंगे।

(iv) उपर्युक्त बताये गये ढंग से बैंक से गारंटी राशि की वसूली के लिए मालिक के अधिकार इस तथ्य के आधार पर प्रभावित या आस्थगित नहीं होंगे कि ठेकेदार द्वारा उठाये गये कोई विवाद या विवादों और/या कोई विवाद (विवादों) ऐसी गारंटी राशि और/या संविदा के संबध में किसी कार्यालय, न्यायधिकरण या न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

(v) इसमें दी गई गारंटी ठेकेदार के ऋण शोधन या रोकना, विघटन, संविधान में परिवर्तन या दिवालियेपन से प्रभावित नहीं होगी परन्तु यह सभी रूपों और सभी उद्दश्यों के लिए प्रतिबद्ध होगी और ऐसी देयता या देयताओं के संबंध में मालिक के कारण सारी राशि के भुगतान तक संचालन प्रभावित होगा।

(vi) यह बैंक गारंटी भारत गणराज्य के कानून के अनुसार शासित होगी और समझी जाएगी और इस बैंक गारन्टी को पार्टियां किसी विवाद या मत भेद, जो पैदा हो सकते हैं या या इस बैंक गारेटी के संबंध में और इस बैंक गारंटी के अंतर्गत लागू करने के उद्देश्यों हेतु; को निपटाने के उद्देश्य हेतु नई दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करेगें।

(vii) प्रयोग किये गये मोटे दर्शाये सभी शब्दों को जिनको परिभाषित नहीं किया गया; के अर्थ को संविदा के अंतर्गत प्रयोग के अनुसार होंगे।

(viii) उपर्युक्त कथन के बावजूद इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत बैंक की देयता गारंटी राशि के लिए प्रतिबद्ध है और यह बैंक गारंटी संविदा के अन्तर्गत वारंटी अवधि के समाप्त होने पर समाप्त होगी।

(ix) जब तक कि इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत इस बैंक गारंटी की समाप्ति तिथि से छः (6) महीनों के अन्दर बैंक के विरूद्ध कोई मांग फाईल नहीं की जाती तो, इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत सभी अधिकार मालिक से जब्त कर लिये जायेंगे और इसके अंतर्गत बैंक सभी देयताओं से मुक्त और रिहा कर दिया जाएगा।

(x) तथापि, मालिक के विचारानुसार, यदि ठेकेदारों के दायित्व जिनके प्रति इस बैंक गारंटी को दिया गया है या पूरा नहीं किया जाता या संविदा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में ठेकेदार द्वारा पूर्णत: निष्पादित नहीं किया जाता; तो ठेकेदार के अनुरोध पर बैंक गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो सकता है जब तक कि ठेकेदार संविदा के अंतर्गत अपने दायित्व पूरे नहीं करता।

(xi) हमारे पास ज्ञापन और समझौता अनुच्छेद के अंतर्गत इस बैंक गारंटी के पक्ष में जारी करने का अधिकार है तथा अधोहस्ताक्षरित के पास दिनांक......................... [मुख्तारनामा तिथि डाले] को बैंक द्वारा उसे मुख्तार नाम के अंतर्गत यह करने की पूरी शक्ति है।

तिथि:

बैंक

बैंक की कार्पोरेट सील

बैंक की तरफ से किसी सक्षम प्राधिकारी से अटार्नी हस्ताक्षर के द्वारा गठित

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

प्रपत्र-V

(बोली खोलने में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकार पत्र)

बोली खोलने में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकार पत्र

(बोली खोलने में समय पर या पहले पहुँचने के लिए**)**

सेवा में,

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (सा.से.)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग ,
नई दिल्ली

विषय: .... की संविदा में .... (तिथि) पर बोली खोलने में उपस्थिति हेतु प्राधिकार पत्र।

निम्नलिखित सदस्यों को नीचे दी गई वरीयता के अनुसार .... (बोलीदाता) की ओर से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट निविदा के लिए बोली खोलने में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

वरीयता क्रम	**नाम**	**प्रतिरूप हस्ताक्षर**
I.		
II.		

वैकल्पिक प्रतिनिधि

बोली दाता के हस्ताक्षर

या

बोली पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत

बोलीदाता की ओर से दस्तावेज

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

टिप्पणी: 1. अधिकतम दो प्रतिनिधियों को बोली खोलने में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। एक पर सीमित होने के मामलों में, पहली वरीयता को अनुमति दी जाएगी। वैकल्पिक प्रतिनिधि को अनुमति तभी दी जाएगी जब नियमित प्रतिनिधि उपस्थित रहने में सक्षम नहीं होंगे।.

2. हॉल; जहां बोली खोली जाएगी, में प्रवेश की अनुमति उपर्युक्त प्राधिकार पत्र प्राप्त न करने के मामले में रद्द की जा सकती है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

भाग - 10

जांच-सूची

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**

<u>बोलियों की तैयारी पर जांच सूची</u>

क्रम सं.	विवरण	हॉ/नहीं
1.	क्या आपने संविदा विवरण बोली प्रपत्र भरा है और हस्ताक्षर किये हैं?	
2.	क्या आपने निविदा दस्तावेज/ठेके की सभी निबंधन और शर्तों को पढ़ा और समझा है और क्या आप सहमत हैं ?	
	तकनीकी बोली	
3.	क्या तकनीकी बोली में ₹ 1,00,000/- का ईएमडी संलग्न किया गया है?	
4.	क्या आपने निर्धारित पेपर आकार में निविदा के सभी भागों के प्रिंट लिये हैं और निविदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किये हैं?	
5.	क्या आपने न्यूनतम योग्यता मानदंड को पूरा दर्शाने वाले प्रमाण संलग्न किए हैं?	
5.1	विधिक वैधता सत्व: क्या आपने दिल्ली/एनसीआर वीएटी/सेवाकर विभाग द्वारा जारी सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं?	
5.2	वित्तीय क्षमता: क्या आपने लेखापरीक्षित तुलन-पत्र संलग्न किए हैं?	
5.3	पैन: क्या आपने पैन प्रमाण पत्र की एक पंजीकरण प्रति संलग्न किए हैं?	
5.4	अनुभव: क्या आपने सरकारी विभागों/संगठनों द्वारा जारी किये गये सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं?	
6.	क्या आपने तकनीकी बोली में बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण के प्रमाण संलग्न किये हैं?	
7.	क्या आपकी तकनीकी बोली निविदा की आवश्यकताओं के अनुसार पैक की गई है?	
	वित्तीय बोली	
8.	क्या आपकी तकनीकी बोली के प्रस्ताव को सभी पृष्ठों पर सही ढंग से भरा, सील और हस्ताक्षरित किया गया है?	
9.	क्या आपने प्रत्येक श्रेणी के प्रति मूल्य उद्धृत किये हैं?	
10.	क्या आपने वित्तीय बोली को निविदा के अनुसार पैक किया है ?	

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

निविदा सं. 14/जीएस/16-2014 **दिनांक : 24.01.2017**